न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हमीरपुर
प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या (टी०ए०)–34/2026
तुलसीराम बनाम श्रीमती सुजाता देवी आदि

दिनांक 20.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 4 क[1] इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मूलवाद 61/2024 सुजाता बनाम दुर्गाप्रसाद आदि में प्रतिवादी संख्या 2 है और पत्रावली वर्तमान में न्यायालय सि०ज०जू०डि० हमीरपुर में विचाराधीन हैं और मूल वाद, श्रीमती सुजाता देवी वादिया ने प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध विवादित भूमि के बावत बैनामा दि–नांक 25.03.2025 के आधार पर, स्थायी व्यादेश एवं घोषणात्मक वाद की डिकी पाने हेतु प्र–स्तुत किया है। इस वाद में विवादित भूमि को श्रीमती सुजाता देवी ने प्रतिवादी संख्या 1 दुर्गा प्र–साद से विक्रय के आधार पर प्रस्तुत किया है। इस वाद में प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 2 ने हाजिर होकर अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया है और पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत है। प्रार्थी ने एक वाद न्यायालय सि०ज०सी०डि० हमीरपुर न०मु० 18/2025 तुलसीराम बनाम श्रीमती सुजाता आदि प्रस्तुत किया है। जिसमें बतौर प्रतिवादी संख्या 2 दुर्गाप्रसाद को पक्षकार बनाया है। प्रार्थी ने जरिये दावा विवादित भूमि के सम्बन्ध में श्रीमती सुजाता के बैनामा दिनांक 25.03.2025 को शून्य घोषणा हेतु एवं विवादित भूमि के स्थायी व्यादेश का वाद प्रस्तुत किया है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 सुजाता देवी उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत करते हुये प्रतिदावा भी प्रस्तुत किया है और प्रतिदावा द्वारा विवादित भूमि जिसे तुलसीराम ने वादपत्र में प्रदर्शित किया है, के बावत स्थायी नि–षेधाज्ञा की प्रार्थना की है, जिसका जवाब भी प्रार्थी ने प्रस्तुत कर दिया है। वाद संख्या 61/2024 एवं 18/2025 में विवादित भूमि एक ही है और दोनो वादों में पक्षकार भी समान हैं और दोनो वादों में वादी, ने अपने-अपने आधारो पर स्थायी व्यादेश की मांग की है। उक्त दोनों वाद में चूंकि एक ही साक्ष्य से वाद का निस्तारण हो सकता है, इसलिये प्रार्थी दोनो वादो को समेकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करना चाहता है किन्तु चूँकि दोनों वाद भिन्न-भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, इसलिये दोनो वादो को समेकित भी नही किया जा सकता है। चूँकि पक्षों के मध्य मुख्य विवाद, और विवादित भूमि में समानता है, जिससे दोनों वादों में एक साथ सुनवाई होकर एक ही न्यायालय द्वारा निष्तारित किया जाना न्यायोचित होगा, जिससे अन्य वादों में विरोधाभाषी निर्णय से बचा जा सके। दोनों वादों में एक ही साक्ष्य से सभी वादों का निर्णय किया जा सकता है और यथा सम्भव वादों को समेकित किये जाने की कार्यवाही कर वाद का विचारण किये जाने हेतु

वादों को एक ही न्यायालय में विचारण हेतु स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए उक्त दोनों पत्रावलियों को एक ही न्यायालय में अन्तरित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 4क के प्रकाश में सम्बंधित न्यायालयों से आख्या आहूत की गयी है। जिस पर न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हमीरपुर द्वारा दिनांक 10.07.2026 को यह आख्या दी गयी है कि वाद संख्या 61/2024 श्रीमती सुजाता देवी बनाम दुर्गा प्रसाद आदि की पत्रावली इस न्यायालय में विचाराधीन है। इसी प्रकार न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) हमीरपुर द्वारा दिनांक 14.07.2026 को यह आख्या दी गयी है कि सिविल वाद संख्या 18/2025 तुलसीराम बनाम श्रीमती सुजाता देवी आदि इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि उक्त दोनों पत्रावली के पक्षकार व विवादित भूमि समान है और दोनों वादों के वादियों ने अपने-अपने आधारों पर स्थायी व्यादेश की मांग की है। सिविल वाद सं–ख्या 18/2025 तुलसीराम बनाम श्रीमती सुजाता देवी आदि का मूल्यांकन मुब०- 8,05,000/- रूपये बताया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों व विचारण की सुविधा को देखते हुए उक्त दोनों पत्रावलियों का विचारण एक ही सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायसंगत है। तद्नुसार स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र 4क[1] न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 4क[1] स्वीकार किया जाता है।

वाद संख्या 61/2024 श्रीमती सुजाता देवी बनाम दुर्गा प्रसाद आदि की पत्रावली न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) हमीरपुर से न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) हमीरपुर में अन्तरित की जाती है।

तद्नुसार प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या (टी०ए०)–34/2026, तुलसीराम बनाम श्रीमती सुजाता देवी आदि निस्तारित किया जाता है।

जनपद न्यायाधीश,
हमीरपुर।

(Manoj Kumar Rai)
District Judge, Hamirpur
J.O. Code UP2004

Digitally signed by MANOJ KUMAR RAI
Date: 2026.07.20 16:23:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court